भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3604

दिनांक 21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

गंभीर चिकित्सा उपचारों के लिए वित्तीय सहायता

3604. डॉ. बायरेड्डी शबरीः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों को सर्जरी और दीर्घकालिक देखभाल सहित गंभीर चिकित्सा उपचारों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो ऐसे उपचारों से जुड़ी उच्च लागतों को वहन करने में असमर्थ है;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके तहत ऐसी सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें शामिल किए गए उपचारों के प्रकार, पात्रता संबंधी मानदंड और वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शामिल है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान इन योजनाओं के माध्यम से सहायताप्राप्त लाभार्थियों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है;

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए आवंटित और उपयोग की गई कुल धनराशि सहित राज्यवार विवरण क्या है;

(ङ) वर्तमान में उक्त निधि के तहत कवर किए गए उपचारों के लिए फिजियोथेरेपी, दीर्घकालिक दवा और पुनर्वास सहित उपचार पूर्व और पश्चात् व्यय की गई औसत अनुमानित लागत कितनी है; और

(च) क्या सरकार ने ऐसी देखभाल की बढ़ती लागतों के मद्देनजर लाभार्थियों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए उपचार पूर्व और पश्चात् व्यय पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसके तहत मध्यम और विशिष्ट परिचर्या हेतु मध्यम और विशिष्ट देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष प्रत्येक पात्र परिवार को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है।

एबी-पीएमजेएवाई के तहत, लाभार्थी परिवारों के लिए पात्रता मानदंड की पहचान शुरू में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 6 वंचना और 11 व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर वर्ष 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) से की गई थी। इसके अलावा, जनवरी 2022 में, 11.7% की दशकीय वृद्धि दर के

आधार पर, भारत सरकार ने लाभार्थी आधार को संशोधित कर इसे 12 करोड़ परिवारों तक विस्तारित किया और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऐसे एसईसीसी लाभार्थियों के लाभार्थी, जिनकी पहचान और सत्यापन नहीं किया जा सका, के सत्यापन के लिए अन्य डेटाबेस (समान सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल के) का उपयोग करने की सुविधा प्रदान की। एबी-पीएमजेएवाई को लागू करने वाले कई राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने गैर-एसईसीसी डेटा स्रोतों (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राज्य विशिष्ट डेटासेट सहित) का उपयोग करके योजना के तहत अपने व्यय पर लाभार्थी आधार का और विस्तार किया है।

मार्च 2024 में, इस योजना के तहत पात्रता मानदंड का विस्तार करके 37 लाख मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा), आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू), आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) और उनके परिवारों को शामिल किया गया। इसके अलावा, 29.10.2024 को, सरकार ने 4.5 करोड़ परिवारों से संबंधित 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक

- स्थिति की परवाह किए बिना प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का मुफ्त उपचार लाभ प्रदान करने के लिीए एब पीएमजेएवाई का विस्तार किया।

इसके अलावा, स्वास्थ्य लाभ पैकेज (एचबीपी) के नवीनतम राष्ट्रीय मास्टर में, इस योजना के तहत सामान्य चिकित्सा, सामान्य सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स , कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी आदि सहित 27 चिकित्सा स्पेशियलिटी में 1961 प्रक्रियाओं से संबंधित कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है, जिसमें क्रिटिकल केयर भी शामिल है । इसके अलावा, राज्यों को स्थानीय संदर्भ के अनुसार स्वास्थ्य लाभ पैकेजों को और अधिक अनुकूलित करने के लिए लचीलापन प्रदान किया गया है ।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए, मोबाइल फोन एप्लीकेशन (आयुष्मान ऐप), वेब पोर्टल (beneficiary.nha.gov.in) या नज़दीकी सूचीबद्ध अस्पताल या कॉमन सर्विस सेंटर के ज़रिए नामांकन कराया जा सकता है। उपर्युक्त एप्लीकेशन में सेल्फ़ रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय टोल-फ़्री हेल्पलाइन (14555) लाभार्थियों को उनके प्रश्नों के संबंध में सहायता प्रदान करती है।

राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) की छत्रप योजना के तहत, हृदय , किडनी, लीवर, कैंसर आदि से संबंधित जानलेवा बीमारियों से पीड़ित गरीब मरीजों (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले) को सुपर स्पेशियलिटी सुविधाओं वाले सरकारी अस्पतालों/संस्थानों में इलाज के लिए 15 लाख रुपये तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान (एचएमडीजी) के तहत, जानलेवा रोगों से ग्रस्त गरीब रोगियों को 1.25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है , ताकि सरकारी अस्पतालों/संस्थानों में अस्पताल में भर्ती/उपचार पर होने वाले खर्च को कवर किया जा सके, जहां नि:शुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

आरएएन और एचएमडीजी की छत्रप योजना की मूल विशेषताएं **अनुलग्नक-I में दी गई हैं।**

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मार्च 2021 में राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति (एनपीआरडी) का कार्यान्वयन शुरू किया है, जिसमें विद्यमान दिशा-निर्देशों के अधीन, 13 चिन्हित उत्कृष्टता केन्द्रों (सीओई) में से किसी में उपचार कराने के लिए चिन्हित दुर्लभ रोगों से पीड़ित रोगियों को 50 लाख रुपए की सहायता का प्रावधान किया गया है।

(ग): पिछले पांच वर्षों के दौरान एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II में दिया गया है** ।

आरएएन/एचएमडीजी की छत्रप योजना के तहत, पात्र रोगियों के उपचार के लिए उपचार करने वाले अस्पतालों/संस्थानों को वित्तीय सहायता जारी की जाती है । निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटन नहीं किया जाता है। इसलिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है ।

पिछले पांच वर्षों के दौरान आरएएन और एचएमडीजी की छत्रक योजना के अंतर्गत लाभान्वित मरीजों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	आरएएन की छत्रप योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या	एचएमडीजी के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या
2019- 20	1159	328
2020- 21	419	129
2021- 22	149	98
2022- 23	196	29
2023- 24	157	55

पिछले पांच वर्षों के दौरान आरएएन और एचएमडीजी की छत्रप योजना के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रू. में)

वर्ष	आरएएन की छत्रप योजना के अंतर्गत		एचएमडीजी के अंतर्गत	
	आवंटित धनराशि	उपयोग की गई धनराशि	आवंटित धनराशि	उपयोग की गई धनराशि
2019- 20	110.00	66.21	6.00	3.45
2020- 21	70.00	44.37	3.00	1.32
2021- 22	97.13	22.86	5.00	1.16
2022- 23	46.00	53.88	1.50	0.31
2023- 24	20.00	14.36	1.04	0.64

(घ): एबी-पीएमजेएवाई का वित्तपोषण पूरी तरह से मांग आधारित है। एनएचए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनसे प्राप्त वास्तविक मांग के आधार पर योजना कार्यान्वयन के लिए धनराशि जारी करता है। निधियों का आवंटन राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार नहीं किया जाता है। परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक नई निधि जारी करने से पूर्व, पहले से प्राप्त निधियों का उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। पिछले पांच वर्षों के दौरान योजना के तहत जारी की गई निधियों के केंद्रीय हिस्से का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुलग्नक-III में दिया गया है**।

(ङ) और (च): वर्तमान रोग के संबंध में 3 दिन तक अस्पताल में भर्ती होने के संबंध में निदान, पूर्व-उपचार और परामर्श सहित अस्पताल भर्ती से पूर्व के व्यय तथा अस्पताल में भर्ती के बाद 15 दिन तक का दवा का खर्च एबी -पीएमजेएवाई के तहत कवर किया जाता है।

अनुलग्नक- I

आरएएन की छत्रप योजना की मूल विशेषताएं निम्नवत हैं:

i. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गरीब मरीज इसके लिए पात्र हैं।
ii. आरएएन की छत्रप योजना के अंतर्गत कवर की गई बीमारियों के उपचार के लिए ।
iii. सरकारी अस्पतालों/सुपर स्पेशियलिटी सुविधा केंद्रों वाले संस्थानों में उपचार के लिए। निजी अस्पतालों में उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है ।
iv. वित्तीय सहायता रूप एकमुश्त अनुदान की राशि के रूप में जारी की जाती है।
v. सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।
vi. व्यय की प्रतिपूर्ति की अनुमति नहीं है ।
vii. पात्र मरीजों को दी जाने वाली अनुदान राशि सीधे तौर पर मरीजों के उपचार के लिए अस्पतालों/संस्थानों को जारी की जाती है ।
viii. वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में उपचार करने वाले चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित तथा सरकारी अस्पताल/संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अनुरोध/आवेदन, परिवार के आय प्रमाण पत्र तथा राशन कार्ड के साथ प्रस्तुत किया जाना है।
ix. आवर्ती व्यय सहित लंबे समय तक उपचार की अनुमति नहीं है।
x. सामान्य प्रकृति की बीमारियों के लिए वित्तीय सहायता स्वीकार्य नहीं है, जिनका उपचार महंगा नहीं है।

एचएमडीजी की बुनियादी विशेषताएँ निम्नवत हैं:

i. 1.25 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले व्यक्ति सहायता के लिए पात्र हैं।
ii. ऐसी दीर्घकालिक बीमारियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं है, जिनमें आवर्ती व्यय के साथ लंबे समय तक उपचार की आवश्यकता होती है , तथा ऐसी बीमारियों के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं है, जिनके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत नि:शुल्क उपचार उपलब्ध है, जैसे टीबी, कुष्ठ रोग आदि।
iii. व्यय की प्रतिपूर्ति की अनुमति नहीं है ।
iv. सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार वित्तीय सहायता के पात्र नहीं हैं।
v. वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

आरएएन और एचएमडीजी की छत्रक योजना के दिशानिर्देश
https://mohfw.gov.in/?q=Magor-Programmes/poor-patients-financial-support

पर उपलब्ध हैं।

अनुलग्नक- II

पिछले पांच वर्षों के दौरान एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2,655
आंध्र प्रदेश	58,91,958
अरुणाचल प्रदेश	2,410
असम	10,00,966
बिहार	9,29,878
चंडीगढ़	45,277
छत्तीसगढ	52,20,078
डीएनएच और डीडी	1,15,657
गोवा	4,855
गुजरात	47,41,715
हरयाणा	13,30,435
हिमाचल प्रदेश	2,54,606
जम्मू और कश्मीर	11,97,845
झारखंड	18,72,507
कर्नाटक	76,42,623
केरल	60,16,085
लद्दाख	12,485
लक्षद्वीप	952
मध्य प्रदेश	38,28,214
महाराष्ट्र	15,17,810
मणिपुर	1,43,308
मेघालय	7,66,802
मिजोरम	1,13,411
नगालैंड	65,126
पुदुचेरी	79,438
पंजाब	19,87,142
राजस्थान	49,07,118
सिक्किम	18,237
तमिलनाडु	96,80,501
तेलंगाना	14,95,417
त्रिपुरा	3,01,874
उत्तर प्रदेश	36,56,035
उत्तराखंड	10,66,804

अनुलग्नक- III

पिछले पांच वर्षों के दौरान एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत जारी की गई धनराशि में केंद्रीय हिस्से का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.41	0.27	0.76	1	0.59
आंध्र प्रदेश	374.07	261.23	223.95	480.89	451.45
अरुणाचल प्रदेश	0	0.67	0	3.8	3.47
असम	133.23	12.1	87.91	209.33	292.06
बिहार	82.49	0	59.77	145.51	172.5
चंडीगढ़	3.82	1.84	2.49	6.41	8.96
छत्तीसगढ	280.37	112.62	66	352.94	195.47
डीएनएच और डीडी	2.02	4.24	1.76	2.93	7.79
गोवा	0.06	0.49	0.6	0.53	1.2
गुजरात	212.33	99.84	330.55	660.15	267.48
हरयाणा	58.69	71.92	89.95	143.5	95.17
हिमाचल प्रदेश	19.12	32.93	33.71	64.32	47.91
जम्मू और कश्मीर	33.44	22.7	75.12	85.62	42.22
झारखंड	126.5	100.32	7.98	0	83.55
कर्नाटक	254.13	160.85	414.11	647.74	320.59
केरल	97.56	145.61	138.9	151.34	155.49
लद्दाख	0	1.62	0.51	1.92	1.93
लक्षद्वीप	0	0	0.31	0.15	0.07
मध्य प्रदेश	118.46	164.8	355.25	665.73	790.35
महाराष्ट्र	241.88	376.65	324.75	388.03	548.4
मणिपुर	17.1	11.45	22.5	38.55	29.17
मेघालय	18.07	49.52	22.28	47.31	49.74
मिजोरम	12.41	14.97	16.58	26.3	23.35
नगालैंड	10.89	12.27	14.09	21.69	28.6
पुदुचेरी	0	1.23	0.11	7.98	5.3
पंजाब	55.55	46.85	80.5	111.38	57.96
राजस्थान	200.07	258.31	96.39	416.96	606.04
सिक्किम	0.09	1.85	1.04	2.3	6.01
तमिलनाडु	441.77	359.81	75.14	578.67	681.74
तेलंगाना	0	0	150.26	173.54	135.75
त्रिपुरा	20.18	8.98	35.6	45.25	48.81
उत्तर प्रदेश।	147.49	167.63	157.56	501.78	841.11
उत्तराखंड	30.73	40.52	54.23	65.11	60.21

******